

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईडी/2025-26/Stipend for Girls/

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा-निर्देश
(सत्र 2025-26)

विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls)
(IEd-003-Samagra-Stipend for Girls)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2025-26 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for Girls) देय होता है। सत्र 2025-26 में स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:-

- **श्रेणी :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स देय होगा।
- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाएं जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित हैं तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls) देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** ₹200/-प्रति माह

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक
शिक्षक संघ
मनोज मीना

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.12 09:14:53 IST
Reason: Approved



- स्टार्डिपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls) प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2025 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	—	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	—	सदस्य सचिव
3. सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED)	—	सदस्य
4. सहायक लेखाधिकारी	—	सदस्य
5. संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय	—	सदस्य
- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालिकाओं का चयन कर स्टार्डिपेन्ड फॉर गर्ल्स जारी किए जाने की तत्काल अनुशंसा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालिकाओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा CBEO को एवं CBEO द्वारा संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान को विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों के साथ SNA के माध्यम से लिमिट जारी करनी होगी, जिससे बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।
- स्टार्डिपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls) का भुगतान प्रतिमाह विधिवत तत्काल जारी किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालिकाओं को स्टार्डिपेन्ड फॉर गर्ल्स की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा की उपमद "Stipend for girls" आवंटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्ते का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालिकाओं की प्रमाणीकरण करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिकाओं को इसका लाभ मिल सके।
- जिले की पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टार्डिपेन्ड फॉर गर्ल्स दिया जाना है परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ को भिजवायें। अन्यथा संबंधित जिला परियोजना समन्वयक जिम्मेदार होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.12 09:14:53 IST
Reason: Approved

- स्टार्टेपेन्ड फॉर गर्ल्स मद में जिलों को आवंटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- स्टार्टेपेन्ड फॉर गर्ल्स का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणीकरण उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालिका के बैंक खाते में/गंभीर दोष वाली बालिका के माता-पिता/अभिभावक तथा छात्रा के संयुक्त खाते में संबंधित PEEU/UCPEO/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बन्धित बालिकाओं के बैंक खाते में स्टार्टेपेन्ड फॉर गर्ल्स जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं की तथा उनको देय स्टार्टेपेन्ड फॉर गर्ल्स की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद स्टार्टेपेन्ड फॉर गर्ल्स वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले स्टार्टेपेन्ड फॉर गर्ल्स की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।
- शाला दर्पण पर CwSN बालिकाओं को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया।

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN बालिकाओं को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह देखा जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।
- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.12 09:14:53 IST
Reason: Approved

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गार्ड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अनुपमा जोरवाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2025-26/Stipend for Girls/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.12 09:14:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु आवेदन पत्र

1. नाम छात्रा.....
2. पिता का नाम.....मोबाइल.....
3. माता का नाम.....
4. जन्म तिथि.....कक्षा.....
5. स्थानीय पूर्ण पता.....
6. एस.आर. न0.....दोष का प्रकार..... एवं प्रतिशत.....
7. पीईईओ/यूसीईईओ.....ब्लॉक.....
8. विद्यालय.....यूडाईस कोड़.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....जनआधार नं.
10. बैंक का नाम.....
11. खाता संख्या.....IFSC Code.....

फोटो मय
प्रमाणीकरण

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्रा..... उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्रा को स्टायपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु ₹.....प्रतिमाह भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्रा.....पुत्री श्री.....विद्यालय.....को स्टायपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) ₹ प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम पद सहित.....

शपथ-पत्र

मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से स्टायपेन्ड भत्ता नहीं लिया जा रहा है।

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्रा

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.12 09:14:53 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION 2025-26

Stipend for Girls (Rs. 200/ per Month for 10 Months)					
S.N.	Name of District	PHY. (ELE.)	FIN.	PHY.(SEC.)	FIN.
1	AJMER	375	7,500	175	3,500
2	ALWAR	340	6,800	210	4,200
3	BALOTARA	250	5,000	250	5,000
4	BANSWARA	111	2,220	150	3,000
5	BARAN	180	3,600	160	3,200
6	BARMER	400	8,000	184	3,680
7	BEAWAR	140	2,800	55	1,100
8	BHARATPUR	250	5,000	150	3,000
9	BHILWARA	500	10,000	250	5,000
10	BIKANER	200	4,000	120	2,400
11	BUNDI	200	4,000	100	2,000
12	CHITTAURGARH	330	6,600	210	4,200
13	CHURU	302	6,040	135	2,700
14	DAUSA	208	4,160	120	2,400
15	DEEG	200	4,000	150	3,000
16	DHAULPUR	160	3,200	80	1,600
17	DIDWANA-KUCHAMAN	205	4,100	145	2,900
18	DUNGARPUR	166	3,320	105	2,100
19	GANGANAGAR	510	10,200	260	5,200
20	HANUMANGARH	381	7,620	128	2,560
21	JAIPUR	530	10,600	328	6,560
22	JAISALMER	60	1,200	35	0,700
23	JALOR	220	4,400	120	2,400
24	JHALAWAR	375	7,500	175	3,500
25	JHUNJHUNU	225	4,500	145	2,900
26	JODHPUR	250	5,000	250	5,000
27	KARALI	50	1,000	50	1,000
28	KHAIRTHAL-TIJARA	125	2,500	65	1,300
29	KOTA	100	2,000	70	1,400
30	KOTPUTLI-BEHROR	105	2,100	85	1,700
31	NAGAU	220	4,400	160	3,200
32	PALI	200	4,000	130	2,600
33	PHALODI	50	1,000	50	1,000
34	PRATAPGARH (RAJ.)	65	1,300	48	0,960
35	RAJSAMAND	250	5,000	50	1,000
36	SALUMBAR	85	1,700	45	0,900
37	SAWAI MADHOPUR	205	4,100	78	1,560
38	SIKAR	300	6,000	250	5,000
39	SIROHI	148	2,960	108	2,160
40	TONK	120	2,400	60	1,200
41	UDAIPUR	415	8,300	155	3,100
Total		9506	190,120	5594	111,880

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.12 09:14:53 IST
Reason: Approved